


आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा धांधपुरा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 345 रकबा 33.04 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा धांधपुरा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 345 रकबा 33.04 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीशनर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैंसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


एन उण्ड अधिकारी
बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/2582
प्रार्थी बनाम

1 द्वारका पुत्र लांगा
जाति भील निवासी
धाधुपुरा उण्डखा
तहसील व जिला
बाड़मेर।

अप्रार्थीगण

दिनांक - 03.11.20

1 हराराम पुत्र होतीराम जाति नाई 2 भगवानसिंह 3 भुपसिंह 4
कानसिंह 5 नारायणसिंह पिसरान बेरीसालसिंह 6 नारायणसिंह 7
तनसिंह 8 रतनसिंह पिसरान हडवन्तसिंह 9 दीपसिंह पुत्र
धोकलसिंह 10 मूलसिंह 11 गुमानसिंह पिसरान मंगलसिंह जाति
राजपूत निवासी धांधुपुरा उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 948/2018

दिनांक- 03.11.20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा धांधुपुरा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 345 रकबा 33.04 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 03.11.20

क्रमांक :- रीडर/2020/2583 - 96

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. द्वारका पुत्र लांगा जाति भील निवासी धाधुपुरा उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी हराराम पुत्र होतीराम वगैरह जाति नाई निवासी धाधुपुरा उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर